प्रारूप-2

(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/सम्बद्धता/आर.टी.ई. जयपुर पश्चिम /255/2012 दिनांक:-15/10/12

संस्था सचिव
सेन्ट्रल एकेडमी सी० सैकण्डरी
स्कूल, महावीरनगर गोपालपुरा बाईपास,
जयपुर

विषय: नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता/सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 23.1.12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. जयपुर .... (विद्यालय का नाम और पता) सेन्ट्रल एकेडमी सी० सैकण्डरी स्कूल, महावीरनगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर को 01-04-12 से 31-03-2015 तक [redacted] की कालावधि के लिये कक्षा 01 से 08 तक के लिये अन्तरिम मान्यता/सम्बद्धता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिये मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और प्रार. शिक्षा की समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों का राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के

CENTRAL ACAD... SEC. SCHOOL

PRINCIPAL (...1749)
CENTRAL ACADEMY SR. SEC. SCHOOL
MAHAVEER NAGAR, GOPALPURA BY PASS
JAIPUR

... ... जायेगा।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेगें।

11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जाता हैं।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को नोडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता/ सम्बद्धता कोड संख्या (RJ/BEEO/JPR/WEST/2012-13/...0316.....) है। कृपया इसे नोट किया जाये ओर इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिये इसे उल्लेखित किया जाये।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभि शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिये उनके द्वारा जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17. आधारभूत सुविधाओ का
अभाव होना।

18.

20.

व.उप.जिला शिक्षा अधिकारी
जयपुर पश्चिम

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

PRINCIPAL ...749)
CENTRAL ACADEMY ... SEC. SCHOOL
MAHAVEER NAGAR, ... BY PASS
JAIPUR

(5)

<u>कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।</u>

कि.3.7

(कार्यालय-आदेश)

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रार/शैक्षिक/2001/सी-1/19626/मुक्त/पी-11/दिनांक 6.10.2001 के द्वारा निर्देश प्रदान किये है कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अस्थाई/स्थाई मान्यता देने के बजाय केवल मान्यता ही प्रदान की जावें। तथा जिन शैक्षिक संस्थाओं को सक्षम स्तर से अस्थाई मान्यता प्रदान कर दी गई को मान्यता प्राप्त संस्था के समकक्ष ही समझा जावें, अब इन्हें नये सिरे से स्थाई मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य नही होगा।

अतः उक्त आदेशों की अनुसरण में सत्र 2001-2002 से पूर्व जिन संस्थाओं को प्रावि/उप्रावि स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी। उन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त पढा जावें।

इन संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप अस्तित्व स्तर में परिवर्तन होने पर यह आदेश मान्य नहीं होगा।

:Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा.शि. जयपुर।

क्रमांक:जिशिअ/जय/प्राशि/शा-5/फा-मान्यता/ 467/ स्थाई /02 दिनांक 11/9/02

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर।
- संबंधित संस्था प्रधान- सेन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर ।
- रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा.शि. जयपुर।

Secretary
Central Academy Educational Society
JAIPUR

Deputy Secretary
Central Academy Educational Society
JAIPUR